

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तक

पत्रक

लाः— पटना

सन्

केश का प्रकार दाठ खाठ वाद सं०

182/ सन् 20/3-14

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई ¹² कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																		
12/04/13	<p>श्री भुजलीकरुमार सिंहा वल्डरूडरुमार सिंहा ग्राम अमरपुरा पो० अमरपुरा थाना बौबतुपुर जिला पटना केवाला नं० २९२४४ दिनांक १२/११/१२ के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table> <tr> <td>मौजा</td> <td>थाना नं०</td> <td>खाता नं०</td> <td>खेसरा</td> <td>एराजी</td> <td>लगान</td> </tr> <tr> <td>लखनीखिंदा ५१</td> <td>४१</td> <td>१२१</td> <td>१७८५</td> <td>१६०० रुपये</td> <td>१०० अ० सौ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </table> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक २१/०५/१४ को रखें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: right;">(Signature)</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलत: उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की दी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।</p> <p style="text-align: right;">(Signature)</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान	लखनीखिंदा ५१	४१	१२१	१७८५	१६०० रुपये	१०० अ० सौ				/	/		
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान															
लखनीखिंदा ५१	४१	१२१	१७८५	१६०० रुपये	१०० अ० सौ															
			/	/																